रिट याचिका क्रमांक ....(28). /02

प्रस्तुति दिनांक 11-2-02

डिवीजन बेंच

माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर.

1/ 1- निमाड़ जीव जंतु कल्याण संगठन,
16 वृंदावन कॉलोनी, खरगोन
द्वारा- सह सचिव, संजय पिता सदाशिव व्यास
उम्र - 37 वर्ष, धंधा - नौकरी,
निवासी- बी.टी.आई. रोड़, खरगोन.

2- संजय व्यास पिता सदाशिव व्यास,
उम्र- 37 वर्ष, धंधा - नौकरी,
निवासी -बी.टी.आई. रोड़, खरगोन .... याचिकाकर्तागण

विरूद्ध

2/ 1- म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर, खरगोन

2- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, खरगोन

3- श्रीमान् थाना प्रभारी महोदय,
पोस्ट-ऊन, तहसील व जिला-खरगोन

4- ग्राम पंचायत-बगवा, तह.व जिला-खरगोन
द्वारा-सचिव

5- जनपद पंचायत, खरगोन
द्वारा-मुख्य कार्यपालन अधिकारी

6- विकासखण्ड अधिकारी, खरगोन
।श्री कच्छवा पाटीदार।

7- प्रताप सेठ, भूतपूर्व सरपंच एवं अध्यक्ष
श्री शिखा बाबा मेला समिति,
पोस्ट-बगवा, तहसील व जिला-खरगोन

8- पन्नालाल सेठ,
उपाध्यक्ष-शिखा बाबा मेला समिति,
पोस्ट-बगवा, तह.व जिला-खरगोन ... प्रत्यर्थीगण

:: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका ::

क्रमशः...2

Scanned by CamScanner

3/ वह संस्था (आदेश) जिसके विरुद्ध यह याचिका प्रस्तुत की जा रही है :-

प्रत्यर्थी क्रमांक-1, 2 व 3 को निर्देशित करने की कृपा करें कि प्रत्यर्थी क्रमांक 4 से 8 को ग्राम-बगवा, तहसील व जिला-खरगोन में श्री शिवा बाबा मेला दिनांक 17-2-02 से 28-2-02 तक आयोजित न होने देवें एवं यदि इस प्रकार का मेला आयोजित हो, तो उसमें पशु बलि की कार्यवाही न हो, यह सुनिश्चित करें।

4/ याचिका प्रस्तुत करने में हुआ विलंब, इत्यादि :

यह याचिका प्रस्तुत करने में कोई देरी नहीं की गई है।

5/ प्रकरण के तथ्य :-

5.1 यह कि याचिकाकर्ता क्रमांक-1 पश्चिम निमाड़ हेतु निर्मित जीव-जंतु कल्याण संगठन है एवं म.प्र. गौ सेवा आयोग, भोपाल से अनुदान प्राप्त संगठन है। इस संगठन का मुख्य कार्य पश्चिमी निमाड़ में जीव-जंतु का कल्याण करना है एवं इस प्रकार की व्यवस्था करना है ताकि किसी भी जीव जंतु को अथवा उनके जीवन को किसी भी प्रकार का खतरा न हो व उनका जीवन सुरक्षित रहे। याचिकाकर्ता क्रमांक-1 संगठन के सह सचिव याचिकाकर्ता क्रमांक-2 हैं तथा इसके अध्यक्ष सीताराम पाटीदार, उपाध्यक्ष श्री रणजीत डंडीर एवं डॉ. सत्यनारायण शर्मा हैं तथा सचिव, राजेन्द्र परसाई हैं। याचिकाकर्ता क्रमांक-2 के अतिरिक्त श्री गोपालकृष्ण अमले उक्त संगठन के सह सचिव हैं तथा कोषाध्यक्ष डॉ. निर्मलसिंह तोमर एवं सह कोषाध्यक्ष सुधीर कुलकर्णी हैं। इस प्रकार याचिकाकर्ता क्रमांक-1 संगठन जीव-जंतुओं के कल्याण के लिए निर्मित संगठन है। म.प्र. गौ सेवा आयोग द्वारा उक्त संगठन को पंजीकृत किये जाने से संबंधित
प्रदर्श पी. 1 दस्तावेज की फोटो प्रतिलिपि प्रदर्श पी. 1 के रूप में संलग्न प्रस्तुत है।

5.2/ यह कि प्रत्यर्थी क्रमांक-4 से 8 द्वारा ग्राम-बगवा, जिला-खरगोन में दिनांक 17-2-02 से 28-2-02 तक "श्री शिवा बाबा मेला" आयोजित
प्रदर्श पी. 2 किया जा रहा है। इस पर्चे की फोटो प्रतिलिपि प्रदर्श पी. 2 के रूप में संलग्न प्रस्तुत है।

5.3/ यह कि प्रदर्श पी. 2 के पर्चे में यह उल्लेखित है कि यह मेला "श्री शिवा बाबा" का प्रथम वार्षिक मेला है, किंतु पिछले वर्ष भी इस प्रकार का मेला ग्राम-बगवा में आयोजित किया गया था और उस मेले में शिवा बाबा

... पर पशु बलि प्रारंभ कर दी गई है । पिछले वर्ष की गई पशु बलि संबंधित फोटोग्राफ प्रदर्श पी. 3, पी. 4 व पी. 5 के रूप में संलग्न प्रस्तुत हैं ।

प्रदर्श पी. 3, पी. 4 व पी. 5

5.4 यह कि प्रत्यर्थी क्रमांक-4 से 8 द्वारा इस वर्ष भी श्री ... मेला के नाम पर पशु बलि की जायेगी, इन परिस्थितियों में दि. ...-02 को प्रत्यर्थी क्रमांक-1 को अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया है, किंतु ... क्रमांक-1 का कथन है कि चूंकि यह मेला सामाजिक मेले के रूप में लिया ... रहा है अतः वह इसमें पशु बलि को रोकने की कार्यवाही नहीं की जा ... यह अभ्यावेदन दिनांक 3-2-02 को ग्राम-बगदा के विभिन्न नागरिकों ... सकल जैन समाज, अरगोन, याचिकाकर्ता क्रमांक-1 संगठन, गायत्री परिवार, अरगोन, विश्व हिन्दू परिषद्, अरगोन, जिला गोशाला समिति, अरगोन, गौ सेवा समिति, अरगोन, स्वाध्याय परिवार, अरगोन, सत्य साईं सेवा समिति, अरगोन, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप, अरगोन, प्रेस क्लब, अरगोन, योग वेदान्त समिति, अरगोन एवं अन्यों के द्वारा हस्ताक्षरित है ।

प्रदर्श पी. 6

अभ्यावेदन दिनांक 3-2-02 की फोटो प्रतिलिपि प्रदर्श पी. 6 के रूप में संलग्न प्रस्तुत है ।

5.5 याचिकाकर्तागण का यह विनम्र निवेदन है कि ग्राम पंचायत ... ग्राम पंचायत-... ग्राम-पंचायत-..., ग्राम पंचायत-... एवं ग्राम पंचायत-... द्वारा भी इस प्रकार के पशु बलि संबंधित मेला ... को बंद किये जाने के संबंध में ठहराव किये गये हैं । उपरोक्त ठहरावों की फोटो प्रतिलिपियाँ प्रदर्श पी. 7 से पी. 11 के रूप में संलग्न प्रस्तुत हैं ।

प्रदर्श पी-7 से पी-11

5.6 यह कि गायत्री परिवार ट्रस्ट, अरगोन द्वारा दि. 4-2-02 को प्रत्यर्थी क्रमांक-5 एवं याचिकाकर्ता क्रमांक-1 द्वारा 5-2-02 को इस संबंध में प्रत्यर्थी क्रमांक-1 को अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया है, किंतु उनके द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । दोनों अभ्यावेदनों की फोटो प्रतिलिपियाँ प्रदर्श पी. 12 एवं पी. 13 के रूप में संलग्न प्रस्तुत हैं ।

5.7 यह कि प्रत्यर्थी क्रमांक-1 व 2 जिले के उत्तरदायी प्रशासनिक अधिकारी होने के उपरांत भी पशु बलि प्रथा रोकने का कोई उपाय नहीं कर रहे हैं एवं प्रत्यर्थी 3, 4, 5 व 6 स्थानीय प्राधिकारी होने के उपरांत भी इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं एवं स्वयं भी इस प्रकार ... के ... असामाजिक तत्वों के साथ संलग्न होकर प्रारंभ कर रहे हैं, अतः यह ... याचिका जनहित में प्रस्तुत की जा रही है ।

क्रमशः ...

6/ **आधार :-**

6.1 क्योंकि सिंगा बाबा मेला गत वर्ष ही लगाया गया था, उसके पूर्व ग्राम-बगवा में कोई मेला आयोजित नहीं होता था। याचिकाकर्तागण की सर्वोत्तम जानकारी में प्रत्यर्थी क्रमांक-1 व 2 से इस प्रकार का मेला आयोजित करने के पूर्व किसी प्रकार की अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई है।

6.2 क्योंकि गत वर्ष भी सिंगा बाबा मेला में सिंगा बाबा के नाम पर बकरों की बलि हुई थी एवं इस वर्ष भी बलि प्रथा को इस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है कि सिंगा बाबा को बलि चढ़ाने से सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। यहाँ यह लिखना अनुचित नहीं होगा कि बलि प्रथा एक अंधविश्वास और सामाजिक अभिशाप है।

6.3 क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार के वीभत्स हिंसाओं का प्रदर्शन करने से समाज में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है जो घातक है।

6.4 क्योंकि अधिकांशतः ग्रामीण मेले में पशु बलि का विरोध करते हैं, किंतु प्रत्यर्थी क्रमांक-7 व 8 जैसे कतिपय स्वार्थी तत्व ग्रामीणों में अंधविश्वास फैलाकर पशु बलि को प्रोत्साहित करते हैं।

6.5 क्योंकि प्रत्यर्थी क्र. 7 व 8 द्वारा छपवाये गये पर्चे में प्रत्यर्थी क्र. 5 व 6 का नाम भी मेला आयोजकों के रूप में उल्लेखित है और इस प्रकार उनके द्वारा भी इस प्रकार के मेले का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया जा रहा है।

6.6 क्योंकि श्री सिंगा बाबा मेला स्थल माध्यमिक विद्यालय के अत्यंत निकट है और वर्तमान में छात्रों की वार्षिक परीक्षा का महत्वपूर्ण समय है और इस प्रकार के मेले में ध्वनि प्रदूषण अनियंत्रित एवं अमर्यादित होता है एवं आयोजकों द्वारा अत्यधिक कर्कश स्वरों में गीत एवं कलंगी तुर्रा निरंतर बजाया जाता है।

7/ **सहायता :-**

(अ) प्रत्यर्थी क्रमांक-1, 2 व 3 को निर्देशित करने की कृपा करें कि प्रत्यर्थी क्रमांक-4 से 8 को ग्राम-बगवा, तहसील व जिला खरगोन में श्री सिंगा बाबा मेला दिनांक 17-2-02 से 28-2-02 तक आयोजित न करने देवें एवं यदि इस प्रकार का मेला आयोजित हो, तो उसमें पशु बलि का आयोजन न हो, यह सुनिश्चित करें।

---

प्रस्तुतकर्ता,

Sd/-

याचिकाकर्ता क्रमांक-1
उपे-सहसचिव एवं याचिकाकर्ता
क्रमांक-2 स्वयं

मेरे कार्यालय में मेरे
निर्देशन में टंकित।

[illegible]

XI-HC—78

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

मामला क्रमांक .............................................. सन् 200

आदेश पत्रक (पूर्वानुबंध)

| आदेश का दिनांक तथा आदेश क्रमांक | हस्ताक्षर सहित आदेश | कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अंतिम आदेश |
|---|---|---|

(.1.)

Writ Petition No.281/02

13.02.2002:

Shri A.K.Sethi, learned counsel for the petitioners and Shri DD Vyas, learned Additional Advocate General for the respondents no.s1 to 3 on advance copy.

Notices be issued to the respondents no.s 4 to 8 on payment of PF within three days by Regd.Post A.D. and by ordinary course returnable at an early date.

Looking to the urgency in the matter, it is directed that slaughtering of animals at a public place during the Mela period commencing from 17.2.2002 to 28.02.2002 shall not be done by the respondents nos.4 to 8 and anyone connected with the organising the said Mela. If any such slaughtering of animals is noticed by the respondents no.s 1 to 3, then they would take appropriate action in the matter against such person and would comply with the aforesaid order in letter and spirit.

List it after 28.02.2002.C.C. today on usual charges.

Sd/-
(Deepak Verma, J)

Sd/-
(A.K.Gohil, J.)

TRUE COPY